85/2024

पत्रावली पेश हुई। **अप्रार्थी अनुपस्थित।** अप्रार्थी की ओर से श्री पंकज कुदेशिया एडवोकेट उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से जर्ये वकील खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद में उन पर लगाये गये आरोपों को जांच रिपोर्ट के अनुसार स्वीकार करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि भविष्य में अप्रार्थी इस तरह की कोई गलती नहीं करेंगे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात एवं रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी द्वारा आमजन में **अवमानक (sub standard) खोआ (मावा) का विक्रय करना पाया गया।** अप्रार्थी ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2)(II) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। उपरोक्त प्रावधान का मध्येनजर रखते हुए अप्रार्थी को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है, चूंकि अप्रार्थी द्वारा उन पर लगाये गये आरोपों को स्वीकार करने एवं उन पर लगाये गये आरोपों की भविष्य में पुनरावृति नहीं किये जाने हेतु आश्वस्त किया गया है। **अतः अप्रार्थी पुष्पेन्द्र प्रजापत पुत्र श्री पूरणमल प्रजापत, उम्र 27 वर्ष, मकान नम्बर 27, चन्द्रा बाजार की गली, इटावा, जिला कोटा (विक्रेता), मैसर्स– जय श्री कृष्ण चक्रधारी मिष्ठान भण्डार, बस स्टैण्ड इटावा, जिला–कोटा पर 5000/– रूपये (अक्षरे पांच हजार रूपये)** शास्ती आरोपित की जाती है। अप्रार्थी प्रतिपक्षी आरोपित शास्ती राशि जमा राज कराकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय की प्रति आवेदक जर्ये **चन्द्रवीर सिंह जादौन** खाद्य सुरक्षा अधिकारी को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दायर रजिस्टर के नम्बर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

अति. जिला कलक्टर
कोटा

Deposit vide R. No. 096977667
Dated 18.05.24 Rs. 5000/-

कोषियर
कार्यालय जिला कलक्टर
कोटा